सं0सं0–7/बजट–46–18/2024– 404(7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– सहायक आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–30/01/2025

विषयः– दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय के विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) की, वित्तीय वर्ष 2014–15 में, कुल प्राक्कलित राशि रु0 5,69,03,28,998/– (रुपये पाँच अरब उन्हत्तर करोड़ तीन लाख अठ्ठाईस हजार नौ सौ अन्ठानवे) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के अन्तर्गत, प्रथम चरण में स्वीकृत सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण हेतु योजना विस्तार के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 227.5440 करोड़ (रूपये दो अरब सताइस करोड़ चौवन लाख चालीस हजार) मात्र पर प्राप्त स्वीकृति सहित कुल पुनरीक्षित रू० 6,64,06,68,998/–मात्र के विरूद्ध वर्त्तमान में रू० 30,00,00,000/–मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय के विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल प्राक्कलित राशि रु0 5,69,03,28,998/– (रूपये पाँच अरब उन्हत्तर करोड़ तीन लाख अठ्ठाईस हजार नौ सौ अन्ठानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति राज्यादेश स0–942(1) दिनांक–22.09.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) के कार्यान्वयन अन्तर्गत सर्वप्रथम सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण का कार्य करने हेतु निगम के द्वारा उक्त प्राक्कलित राशि के अन्तर्गत रू० 132.51 करोड़ के प्राक्कलित व्ययगत राशि की योजना तैयार की गयी थी, जिसमें अबतक स्वीकृत राशि निगम को उपलब्ध करा दी गयी है। बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक–6928, दिनांक–04.11.2024 के द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय के विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) के अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 शैय्या के सर्जिकल भवन का निर्माण कार्य संबंधी योजना का विस्तार कर पुनः संशोधित कर योजनागत राशि रू० 227,54,40,000/–(रूपये दो अरब सताइस करोड़ चौवन लाख चालीस हजार) मात्र पर स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि (2,27,54,40,000–1,32,51,00,000) 95,03,40,000/–(रूपये पन्चानवे करोड़ तीन लाख चालीस हजार) मात्र आवंटन उपलब्ध कराने अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में प्रथम चरण में स्वीकृत सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण हेतु रू० 132.51 करोड़ के योजना विस्तार के उपरान्त रू० 227.5440 करोड़ मात्र की स्वीकृति एवं इसके विरूद्ध शेष राशि रू० 95,03,40,000/ मात्र उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुरूप दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय के विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) की, वित्तीय वर्ष 2014-15 में, कुल प्राक्कलित राशि रु0 5,69,03,28,998/– (रूपये पाँच अरब उन्हत्तर करोड़ तीन लाख अठ्ठाईस हजार नौ सौ अन्ठानवे) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के अन्तर्गत, प्रथम चरण में स्वीकृत सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण हेतु योजना विस्तार के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 227.5440 करोड़ (रूपये दो अरब सताइस करोड़ चौवन लाख चालीस हजार) मात्र सहित रू० 6,64,06,68,998/–मात्र के विरूद्ध वर्तमान में रू० 30,00,00,000/–मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4-- अतएव इस योजना मे अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है --

क्र०स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० मे)	आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2016--17	20,00,00,000	सं०--76(1)ब०, दिनांक--06 01 2017
2	2021--22	13,20,00,000	सं०--01(7)ब०, दिनांक--11 08 2021
3	2021--22	12,80,00,000	सं०--409(7), दिनांक--14 03 2022
4	2022--23	8,25,00,000	सं०--85(7), दिनांक--24 06 2022
5	2022--23	8,00,00,000	सं०--187(7), दिनांक--06 09 2022
6	2022--23	10,60,00,000	सं० -291(7), दिनांक- 24 11 2022
7	2023--24	20,00,00,000	सं०--237(7), दिनांक--27 09.2023
8	2023--24	33,00,00,000	सं०--471(7), दिनांक--12 02 2024
9	2024--25	6,66,00,000	सं०--183(7), दिनांक--17 09.2024
	कुल--	**1,32,51,00,000**	

5-- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश स0--942(1) दिनांक--22 09 2014 मे वर्णित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

6-- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या--2561/वि0(2), दिनांक- 17 04 98, 2880/वि0(2), दिनांक--06 05 06, 2938/वि0(2), दिनांक--08 04 08 एवं 3758/वि0(2), दिनांक -31.05 2017, 7111/वि०(2), दिनांक--28 07 2022, पत्रांक--6439/वि०, दिनांक--28 08 2018 एवं पत्रांक--12888/वि०, दिनांक--03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7-- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव--सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8-- इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या--20, मुख्य शीर्ष--4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष--01--शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष--110 -अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष--0111--मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड--20 -4210011100111 अंतर्गत विषय शीर्ष 53--मुख्य कार्य के 0111--53--01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे वित्तीय वर्ष 2024- 25 मे बजट उपबंध/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

9-- अवर सचिव--सह--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म--46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0--PBBPLA007 विपत्र कोड--00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-14495 मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए यथाशीघ्र करेगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण--पत्र विहित प्रपत्र मे तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

10-- बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे।

11- प्रारूप पर सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या--7/बजट-- 46--18/2024 के पृष्ठ--101/टि० पर प्राप्त है।

12-- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13-- इसमे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

14-- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शंभू शरण) 30.1.25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः— स0स0-7 / बजट—46—18 / 2024— 404(7) / स्वा0, पटना, दिनांक—30 / 01 / 2025

प्रतिलिपि—महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा / जिलाधिकारी, दरभंगा / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / अवर सचिव— सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / प्राचार्य / अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी—7 / लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई—मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

30.1.25

सरकार के अपर सचिव